राजस्थान सरकार
अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह
सेठी कॉलोनी, जयपुर(फोन नं. 0141–2617054)

क्रमांक

दिनांक

खुली निविदा आमंत्रण

राज्यपाल महोदय की ओर से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासियों के लिये निम्न सामग्री/सेवा के लिये मुहरबंद निविदाए आमंत्रित की जाती है:–

क्र. सं.	NIT सं.	सेवा का विवरण	अवधि	अनुमानित लागत	बयाना राशि	निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अन्तिम तिथि	भरे हुए निविदा प्रपत्रजमा करवाने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1	6/2014	जॉब बेसिस पर सुरक्षा व्यवस्था का कार्य	एक वर्ष	500000	10000	03.11.2014 5:00 PM	05.11.2014 2:00 PM	05.11.2014 3:00 PM
2	7/2014	आवासियों के लिये खाना बनाना आदि व्यवस्था का कार्य	एक वर्ष	970000	20000	03.11.2014 5:00 PM	05.11.2014 2:00 PM	05.11.2014 3:00 PM

निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट **sppp. raj.nic.in** एवं विभागीय वेबसाइडट **sje.rajsthan.gov.in** एवं कार्यालय समय में देखा या डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदा प्रपत्र 200/–नकद जमा करा कर कार्यालय समय में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 03.11.2014 को 5:00 PM तक प्राप्त किया जा सकता हे।

नोटः–1. एक बार जमा कराया गया निविदा शुल्क लौटाया नही जायेगा।

2. यदि निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है तो निविदा प्रपत्र का भुगतान किसी भी सिड्यूल बैंक द्वारा जारी किया गया डि.ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक द्वारा जो कि अधीक्षक मानसिक विमंदित गृह सेठी कॉलोनी जयपुर के पक्ष में देय हो निविदा प्रपत्र जमा कराते समय साथ में दिया जावें अन्यथा निविदा फार्म रद्द कर दिया जावेगा।

–sd–
अधीक्षक

क्रमांक 621-27

दिनांकः–15-10-2014

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,राजस्थान जयपुर को 5 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि निविदा को एक राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्र जिसका प्रसारण 50,000 प्रतियां या अधिक हो एवं एक क्षैत्रीय समाचार पत्र में नियमानुसार तत्काल प्रकाशित करावें।
2. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय, विशेष योग्यजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय ACP जयपुर।
4. श्रीमान लेखाधिकारी,निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि राज्य उपापन पोर्टल नोटिस बोर्ड **sppp. raj.nic.in** पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
5. नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु कार्यालय **sje/ sppp**
6. कार्यालय नोटिस बोर्ड
7. एसीपी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइडट **sje.rajsthan.gov.in** पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

अधीक्षक
मानसिक विमंदित महिला एवं
बाल कल्याण पुनर्वास गृह
सामाजिक ... विभाग, जयपुर

राजस्थान सरकार

अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह
सेठी कॉलोनी, जयपुर(फोन नं. 0141–2617054)

क्रमांक 619

दिनांक 15-10-2014

निविदा आमंत्रण सूचना –7 / 2014–15

राज्यपाल महोदय की ओर से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में विमंदित बालको एवं महिलाओं के लिये एक वर्ष की अवधि के लिये निम्न कार्यो / आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदाऐं निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते आदि इस कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर कार्यालय कार्य दिवस में दिनांक 03.11.2014 को 5:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है। बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) या आवश्यक दस्तावेज के बिना जमा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	निविदा शुल्क	बयाना राशि
1	आवासियों के लिये खाना बनाना आदि व्यवस्था का कार्य	970000 /–	200 /–	20000 /–

भरी हुई निविदायें दिनांक 05.11.2014 को दोपहर 2:00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा करायी जा सकती है। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाए दिनांक 05.11.2014 को समय 3:00 बजे क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। अपूर्ण एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जावेगा।

अधीक्षक

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
विशेष योग्यजन विभाग, सेठी कांलोनी, जयपुर

निविदा प्रपत्र

1. विषयः खाना, नाश्ता, चाय आदि बनाने के कार्य की जॉब बेसिस पर निविदा।
2. निविदा करने वाली फर्म का नाम व डाक का पूरा पता,मोबाईल नं. ....
....
....
....
3. सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक– /2014–15 दिनांक ....
4. निविदा शुल्क की राशि 200/– अक्षरे दौ सौ मात्र नकद (रसीद संख्या)/ डी.डी. /बैंकर्स चैंक नम्बर..............................दिनांक......................के द्वारा जमा करा दी गयी है।
5. हम अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह, विशेष योग्यजन विभाग, सेठी कोलोनी जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या /2014–15 दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट(इनके सभी पृष्टों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
6. खाना आदि बनाने का ठेका देने बाबत हमारी दर निम्न प्रकार है :–

क्रस.	कार्य का विवरण	मासिक दर	विवि
1	आवसियों हेतु दोनो समय खाना, चाय नाश्ता आदि बनाने का कार्य (मय गैस सिलेण्डर की लागत, गैस भट्टी आदि की मरम्मत एवं रखरखाव एवं बर्तन आदि साफ करने की समस्त सामग्री सहित)	(मय समस्त करों एवं आनुषंगिक प्रभारो के विवरण सहित) रूपयेः–... अक्षरे...	

7. कार्य में लगने वाले व्यक्तियों की संख्या– 7 प्रति दिन।
8. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से 7 दिवस की अवधि के भीतर कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

9. बयाना राशि रूपय 20000/–अक्षरे बीस हजार मात्र के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैंक संख्या..................................जो (बैंक का नाम)..पर आहारित किया गया है/नकद रसीद संख्या........................./चालान संख्या..............................और दिनांक........................रूपये.....................संलग्न है।

10. सेवा प्रदाय करने हेतु श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या..दिनांक........................... वैद्यता अवधि..............................की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

11. आयकर स्थाई खाता संख्या...

12. सर्विस टैक्स पंजीयन संख्या...दिनाक.............................

13. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करे)

1.

2.

3.

4.

5.

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर मय नाम

प्रतिबन्ध एवं शर्ते

टिप्पणी:— निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदाये भेजते समय इन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये ।

1. निविदाओ को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहर बन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिये।
2 व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदाओ पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
3 ठेकेदार को अनुमानित लागत रू 970000/— का 2 प्रतिशत राशि रू. 20000/— बयाना राशि (अर्नेस्टमनी) नकद/बैंक ड्रापट/बैकर्स चैक के द्वारा अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह के नाम निविदा पत्र के साथ जमा करानी होगी। बिना बयाना राशि जमा कराये निविदा पर विचार नही किया जावेगा ।
4 फर्म को किसी राजकीय संस्था/ छात्रावास या चिकित्सालय के कैन्टीन में दो वर्ष के अनुभव का प्रमाण पत्र, आयकर स्थायी खाता संख्या (पेन काड़) एवं रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उसके बिना निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
5 फर्म का गत एक वर्ष का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 3 लाख रूपये होना अनिवार्य है जिसके प्रमाण स्वरूप विभागीय प्रमाण पत्र निविदा फॉर्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है उसके बिना निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
6 फर्म आदि के गठन को किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबन्धित फर्म/संस्था द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नही किया जावेगा। संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तक स्वीकार नही किया जावेगा जबकि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिये बाध्य नही हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार को रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।
7 निविदादाता द्वारा दरें उचित स्थान पर अंकों एवं शब्दो दोनो में लिखनी चाहिये। निविदा के प्रत्येक पृष्ट एवं कांट छांट पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर किये जाने पर अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र स्याही या टंकण से भरा जावेगा।
8 मोहर बंद निविदा प्रपत्र मय बयाना (अर्नेस्टमनी) राशि 20000/—(अक्षरे बीस हजार मात्र) दिनांक 05.11.2014 को दोपहर 2::00 बजे तक अधीक्षक मानसिक विमंदित एवं बाल पुनर्वास गृह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के कार्यालय में रखे हुये टेण्डर बाक्स में पहुंच जानी चाहिये निविदाये दिनांक 05.11.2014 को 3:00 बजे खोली जावेगी
9 विधि मान्यता : निविदाये उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अविध के लिये विधि मान्य होगी।
10 ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिये नही सौपेगा या उप भाडे (सबलैट) पर नही देगा।
11 निविदादाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
12 असफल निविदादाताओ को बयाना राशि निविदा स्वीकृत होने के पश्चात शीध्र वापस कर दी जायेगी।

13 करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः–

i सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार 500 /–रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिये निविदाये स्वीकार की गई है। उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनाक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिवस के भीतर जमा करायी जायेगी ।

ii निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि कि लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दिशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

iii प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

iv प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगेः–

(क) नकद/बैक ड्रापट /बैकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगा।

(ग) अल्प बचतो को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओ के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेटस, किसान विकास पत्र या अन्य कोई स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हे गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जावेगा।

v करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

vi प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया नही है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।

14 बयाना राशि का समपहरण बयाना राशि को निम्नलिखित मामलो में समपहत कर लिया जायेगाः–

i जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, उसमें उपान्तरण करता है।

ii जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नही करता हो।

iii जब निविदादाता ठेके के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही कराता हो

iv जब वह विहीत समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारभ करने में असफल रहता हो

15 प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नालिखित मामलो में समपहत कर लिया जावेगा :–

i जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

ii जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने के असफल रहा हो।

iii प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

16 ठेकेदार द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर उसे 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

17 ठेके की एक वर्ष की अवधि में यदि खाना, नाश्ता, चाय आदि बनाने का कार्य सन्तोषजनक पाया गया तो, ठेका विभाग विकल्प पर 6 माह के लिये उन्ही दरो पर बढाया जा सकेगा, जिसके लिये संवेदक बाध्य होगा। 6 माह की अवधि के बाद दोनो की सहमति से 6 माह अवधि और बढ़ायी जा सकेगी।

18 ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रृटि पायी जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार अधीक्षक को होगा ।

19 सरकार द्वारा विहीत सेवा कर (सर्विस टैक्स) एवं अन्य सभी कर आदि ठेकेदार द्वारा ही वहन किये जावेगे ।

20 भुगतानः भुगतान अग्रिम नही किया जावेगा। जब तक पक्षकारो के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, कार्य के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

21 यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है, जो उसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्ते को स्वीकार किया हुआ नही समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

22 क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन कार्यो के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

23 निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नालिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः-

i यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अभिप्रमाणित प्रति।

ii यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

iii एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता टेलीफोन नंबर ।

iv कंपनी के मामले में कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

24 यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी को नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंद्व नही होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

25 समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में जिला न्यायालय में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नही की जायेगी ।

26 संस्था में भोजन कार्य में किसी भी दिन अवकाश नही रहेगा। भोजन कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नही होने चाहिये। भोजन कर्मचारी प्रातः 7:00 बजे से संस्था में उपस्थित होगे एवं सायं आवासियों के द्वारा खाना खाने के बाद जावेगे। आवश्यकतानुसार कार्य समय में परिवर्तन भी किया जा सकता है, ठेकेदार को चाय, नाश्ता प्रातः 7:00 बजे से 8:00 बजे तक, सुबह का भोजन 11:00 बजे से 12:00 बजे तक एवं सायं काल का भोजन 7:00 बजे से 8:00 बजे तक तैयार कर आवासियो को खिलाना होगा।

27 खाना, नाश्ता आदि निर्धारित समय पर तैयार कर उपलब्ध करवाने होगें। निर्धारित समय के विलम्ब पर नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति देय होगी:–

अ निर्धारित समय से 1 घंटा विलंब के लिये — 2.5 प्रतिशत
ब निर्धारित समय से 2 घंटा विलम्ब के लिये — 5 प्रतिशत
स निर्धारित समय से 3 घंटा विलम्ब के लिये — 7.5 प्रतिशत
द निर्धारित समय से 3 घंटे से ज्यादा विलम्ब के लिये — 10 प्रतिशत

28 खाना, चाय नाश्ता आदि बनाने की दरें मय उपयोग में ली जाने वाली गैस की लागत, गैस भटटी एवं फिटिंग की मरम्मत – रखरवाव,बर्तन आदि साफ करने की समस्त सामग्री एवं अन्य समस्त करों एवं आनुषंगिक प्रभारो सहित प्रस्तुत की जावेगी।

29 ठेकेदार को भोजन एवं नाश्ता बनाने हेतु आदेशानुसार महिला व पुरूष कर्मचारी रखने होगें। लगभग 170 आवासियों हेतु दोनो समय रोटी, दाल सब्जी, चाय नाश्ता अण्डे उबालने, छीलना तथा खिचड़ी बनाना, बनाने खाने के बर्तनों की सफाई एवं भोजन नाश्ता परोसना आदि कार्य करने होगे। खाना खिलाने के बाद आवासियों के मुहॅ एवं हाथ साफ करना होगा।

30 ठेकेदार को रसोई कक्ष में पूर्ण स्वच्छता रखनी होगी। तैयार खाने में कोई खराबी होती है तो उसके लिये ठेकेदार पूर्ण जिम्मेदार होगा।

31 भोजन की व्यवस्था के लिये अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल पुनर्वास गृह, सेठी कांलोनी, जयपुर द्वारा दिये गये समस्त आदेशों की पालना ठेकेदार को करनी होगी तथा बिना किसी विवाद के ठेकेदार को कार्य करना होगा।

32 ठेकेदार द्वारा नियुक्त भोजन कर्मचारी को दैनिक मजदूरी नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी से कम नही होगी। ठेकेदार को अगले माह की भुगतान गत माह के भुगतान करने की रसीद/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करनें पर किया जावेगा।

33 भोजन कार्य को करते समय यदि किसी भोजन कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किस भी रूप में अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उसके लिये मुआवजा आदि देने का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नही होगा।

34 कर्मचारी राज्य बीमा के अन्तर्गत कटौती किया जाना एवं राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रकार की कटौतियो को कर्मचारी पर लागू करना एवं इस प्रकार की राशि को जमा करानें का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

35 ठेके की अवधि में यदि भोजन कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जाती है और संस्था इस अवधि में भोजन कार्य करने में असमर्थ रहती है तो विभाग द्वारा संवेदक के रिस्क व कोस्ट पर अपने स्तर पर भोजन बनाने में जो राशि व्यय की जा सकेगी ओर वह राशि ठेकेदार को देय मासिक बिल की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि में से समायोजित कर ली जावेगी।

36 भोजन कर्मचारियों की उपस्थिति संस्था के ड्यूटी कर्मचारी के पास उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज करानी होंगी। ठेकेदार द्वारा नियुक्ति से पूर्व रसोई कर्मचारियों के निवास/स्थायी पते का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा एवं अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र अथवा उनकी फोटो सहित उपलब्ध कराना होगा। बिना पहचान पत्र संस्था में प्रवेश नही दिया जावेगा। भोजन कर्मचारियों को अधीक्षक द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार अपनी ड्रैस पर फर्म का नाम लिखा हुआ अप्रेन पहनना अनिवार्य होगा।

37 समस्त भोजन कार्य करने के पश्चात रसोई की सफाई एवं कचरे को उचित स्थान पर डालने की व्यवस्था करनी होगी।

38 यदि किसी कार्य दिवस में ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवायें जारहे श्रमिको मेंसे कम श्रमिक उपस्थित पाये जाते है या कार्य सन्तोषप्रद नही पाया जाता है तो निर्धारित मजदूरी के अतिरिक्त 500/— की भी कटौती की जावेगी ।

39 संविदा का मूल्य निर्धारण वर्तमान में गैस सलेण्ड़र के लिये केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वाणिज्यक दरो के आधार पर किया गया है। भविष्य में यदि गैस सलेण्ड़र घरेलू दरो पर प्राप्त होता है तो उसी अनुपात में संविदा मूल्य में क्रय समिति द्वारा कमी की जा सकेगी।

40 गैस सलेण्ड़र की निविदा स्वीकृति की दिनांक को निर्धारित वाणिज्यक दरो में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्वि होने पर क्रय समिति द्वारा संविदा मूल्य वृद्वि किये जाने पर विचार किया जा सकेगा। 25 प्रतिशत तक वृद्वि होने पर किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि देय नही होगी।

41 जामडोली में नवीन भवन का निर्माण किया जा रहा है भविष्य में संस्था के संविदा अवधि के दौरान नवीन भवन में शिफ्ट होने पर इसी दर पर फर्म को नवीन स्थान पर रसोईया उपलब्ध करवाने होगें। अधीक्षक के आदेश पर रसोई कर्मचारी बदलने होगें, यदि किसी से त्रुटि होती है तो फर्म/संवेदक उसका पूर्ण जिम्मेदार होगा।

42 कार्य की आवश्यकता को देखते हुए/संस्था में आवासियों की संख्या में कम या अधिक होने पर रसोई कर्मचारियों की संख्या भी नियमानुसार कम या अधिक की जा सकती है।

उपरोक्त भोजन कार्य संबंधी शर्ते मैने/हमने पढ़ ली है, और यह शर्ते मुझे /हमें स्वीकार्य है।

हस्ताक्षर निविदादाता

राजस्थान सरकार

अधीक्षक, मानसिक विंमदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह सेठी कॉलोनी, जयपुर(फोन नं. 0141-2617054)

क्रमांक 618

दिनांक 15-10-2014

निविदा आमंत्रण सूचना -6/2014-15

राज्यपाल महोदय की और से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में विमंदित बालको एवं महिलाओं के लिये एक वर्ष की अवधि के लिये निम्न कार्यो/ आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदाऐं निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते आदि इस कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर कार्यालय कार्य दिवस में दिनांक 03.11.2014 को 5:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है। बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) या आवश्यक दस्तावेज के बिना जमा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	निविदा शुल्क	बयाना राशि
1	जॉब बेसिस पर सुरक्षा व्यवस्था का कार्य	500000/-	200/-	10000/-

भरी हुई निविदायें दिनांक 05.11.2014 को दोपहर 2:00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा करायी जा सकती है। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाए दिनांक 05.11. 2014 को समय 3:00 बजे क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। अपूर्ण एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जावेगा।

अधीक्षक

अधीक्षक
मानसिक विमंदित महिला एवं
बाल कल्याण पुनर्वास गृह
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
फोन नं. 11/23739

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
विशेष योग्यजन विभाग, सेठी कांलोनी, जयपुर

निविदा प्रपत्र

1. सुरक्षा व्यवस्था के लिये निविदा
2. निविदा करने वाली फर्म का नाम व डाक का पूरा पता,मोबाईल नं. ....
3. सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक /2014–15 दिनांक..
4. निविदा शुल्क की राशि 200/–.नकद रसीद संख्या............................दिनांक...................... के द्वारा जमा करा दी गयी है।
5. हम ....अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह, विशेष योग्यजन विभाग, सेठी कोलोनी जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या /2014–15 दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट(इनके सभी पृष्टों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

क्रस.	कार्य का नाम मय विनिर्देशो के विवरण	मासिक दर	अन्य	कुल मासिक राशि	वि.विवरण
1	जॉब बेसिस पर सुरक्षा कार्य व्यवस्था विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह एवं उसके परिसर की				सुरक्षा कार्य 24घन्टे किया जायेगा जिसमें अधीक्षक द्वारा निर्धारित मात्रा में महिला एवं पुरूष मैन पावर लगायी जायेगी।

6. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से 7 दिवस की अवधि के भीतर कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।
7. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/दस्तावेज में कोई त्रुटि/ असत्यता पाई जावेगी तो विभाग को निविदा अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
8. बयाना राशि रूपये 10000/–अक्षरे दस हजार मात्र के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैंक संख्या...................................जो (बैक का नाम)..पर आहारित किया गया है/नकद

रसीद संख्या......................../चालान संख्या.........................और दिनांक.......................
रूपये...................संलग्न है।

8 इस के साथ आयकर विवरणी प्रस्तुतकरने का विवरण पत्र प्रस्तुत है।

1. आयकर स्थाई खाता संख्या...
2. सर्विस टैक्स पंजीयन संख्या..दिनाक...........................
3. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करे)

   1.
   2.
   3.
   4.
   5.

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर मय नाम

प्रतिबन्ध एवं शर्ते

टिप्पणीः– निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदाये भेजते समय इन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये ।

1. निविदाओ को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहर बन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिये।
2. निविदा प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है इसके बिना निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
   (1) श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र।
   (11) सेवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र।
   (111) पेन कार्ड ।
   (1V) बयाना राशि।
   (V) अनुभव प्रमाण पत्र।

3 व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदाओ पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।

4 ठेकेदार को अनुमानित लागत रू. 500000/– का 2 प्रतिशत राशि रू. 10000/– बयाना राशि (अर्नेस्टमनी) नकद/बैंक ड्रापट/बैकर्स चैक के द्वारा अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह के नाम निविदा पत्र के साथ जमा करानी होगी। बिना बयाना राशि जमा कराये निविदा पर विचार नही किया जावेगा ।

5 फर्म को किसी राजकीय कार्यालयों, अर्द्वशासकीय कार्यालयों, छात्रावास या चिकित्सालय भवनों या प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानो में कार्य करने कां दो वर्ष का अनुभव हो। जिसका प्रमाण पत्र, संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हों निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा उसके बिना निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

6 फर्म आदि के गठन को किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबन्धित फर्म/संस्था द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नही किया जावेगा। संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तक स्वीकार नही किया जावेगा जबकि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिये बाध्य नही हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार को रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।

7. निविदादाता द्वारा दरें उचित स्थान पर अंकों एवं शब्दो दोनो में लिखनी चाहिये। निविदा के प्रत्येक पृष्ट एवं कांट छांट पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर किये जाने पर अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र स्याही या टंकण से भरा जावेगा।

8 मोहर बंद निविदा प्रपत्र मय बयाना (अर्नेस्टमनी) राशि 10000/–(अक्षरे दस हजार मात्र) दिनांक **05.11.2014** को दोपहर 2::00 बजे तक अधीक्षक मानसिक विमंदित एवं बाल पुनर्वास गृह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के कार्यालय में रखे हुये टेण्डर बाक्स में पहुंच जानी चाहिये निविदाये दिनांक 05.11.2014 को 3:00 बजे खोली जावेगी

9 विधि मान्यता : निविदाये उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अविध के लिये विधि मान्य होगी।

10 ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिये नही सौपेगा या उप भाडे (सबलैट) पर नही देगा।

11 निविदादाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

12 असफल निविदादाताओ को बयाना राशि निविदा स्वीकृत होने के पश्चात शीध्र वापस कर दी जायेगी।

13 करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः-

i सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार 500 /-रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिये निविदाये स्वीकार की गई है। उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनाक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिवस के भीतर जमा करायी जायेगी ।

ii निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि कि लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दिशा में बयाना राशि से कम की नही होगी।

iii प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

iv प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगेः-

(क) नकद/बैक ड्राफ्ट /बैकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगा।

(ग) अल्प बचतो को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओ के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेटस, किसान विकास पत्र या अन्य कोई स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हे गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जावेगा।

v करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

vi प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया नही है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।

14 बयाना राशि का समपहरण बयाना राशि को निम्नलिखित मामलो में समपहत कर लिया जायेगाः-

i जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, उसमें उपान्तरण करता है।

ii जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नही करता हो।

iii जब निविदादाता ठेके के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही कराता हो

iv जब वह विहीत समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारभ करने में असफल रहता हो

15 प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नालिखित मामलो में समपहत कर लिया जावेगा :-

i जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

ii जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने के असफल रहा हो।

iii प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

16 ठेकेदार द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर उसे 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

17 ठेके की एक वर्ष की अवधि में यदि सुरक्षा कार्य का कार्य सन्तोषजनक पाया गया तो, ठेका विभाग विकल्प पर 6 माह के लिये उन्ही दरो पर बढाया जा सकेगा, जिसके लिये संवेदक बाध्य होगा। 6 माह की अवधि के बाद दोनो की सहमति से 6 माह अवधि और बढ़ायी जा सकेगी।

18 ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रृटि पायी जाने पर निविदा को रद्ब करने का अधिकार अधीक्षक को होगा ।

19 सरकार द्वारा विहीत सेवा कर (सर्विस टैक्स) एवं अन्य सभी कर आदि ठेकेदार द्वारा ही वहन किये जावेगे ।

20 भुगतानः भुगतान अग्रिम नही किया जावेगा। जब तक पक्षकारो के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, कार्य के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

21 यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है, जो उसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्ब कर दिया जावेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्ते को स्वीकार किया हुआ नही समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

22 क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्ब करने या जिन कार्यो के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

23 यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी को नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंद्व नही होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

24 समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में जिला न्यायालय में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नही की जायेगी ।

25 ठेकेदार को संस्था भवन में पूर्ण सुरक्षा रखनी होगी, सुरक्षा की व्यवस्था के लिये अधीक्षक द्वारा दिये गये समस्त आदेशों की पालना ठेकेदार द्वारा की जावेगी। ठेकेदार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था तीन पारियों में 8–8 घन्टे सुरक्षा कर्मियों को लगा कर 24 घन्टे करवाई जायेगी। महिला विंग के लिये महिला कर्मी तथा मुख्य द्वार पर पुरूष कर्मी से सुरक्षा व्यवस्था का कार्य करवाना होगा।

26 संस्था परिसर में से किसी भी प्रकार के सामान की चोरी होने पर, कार्यालय सामान के बाहर जाने पर समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी तथा सामान के मूल्य की वसूली संवेदक से की जायेगी।

27. बिना अधीक्षक की अनुमति के आवासी के बाहर निकल जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी तथा संवेदक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसमें निविदा निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ब्लेक लिस्टेड़ किये जाने की भी कार्यवाही होगी,

28. ठेकेदार द्वारा नियुक्त सुरक्षा कर्मियों को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। यदि न्यूनतम मजदूरी से कम का भुगतान करने की शिकायत प्राप्त होती है तो ठेकेदार के विरूद्ध सक्त कार्यवाही की जायेगी।

29 सुरक्षा कार्य को करते समय यदि किसी सुरक्षा कर्मी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किस भी रूप में अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उसके लिये मुआवजा आदि देने का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नही होगा।

30 प्रत्येक माह की निर्धारित तारीख को संवेदक द्वारा दो प्रतियों में बिल प्रस्तुत करने पर बिल कोषालय में प्रस्तुत किया जायेगा। कोषालय द्वारा बिल पारित करने पर भुगतान किया जायेगां

31 ठेकेदार फर्म को कार्य आदेश दिये जाने के बाद यदि नियमानुसार पी.एफ., ई.एस.आई. देय है तो एक माह में कार्मिकों के पी.एफ. ई.एस.आई. नम्बर उपलब्ध करवाना होगा। ऐसा नही करने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसमें कार्य आदेश निरस्तीकरण भी शामिल होगा।

32 ठेके की अवधि में यदि सुरक्षा कर्मियों द्वारा हड़ताल की जाती है और सुरक्षा कार्य बाधित होता है तो विभाग द्वारा संवेदक के रिस्क व कोस्ट पर अपने स्तर पर सुरक्षा कार्य अन्य ठेकेदार से करवा सकेगा। इसमें जो राशि व्यय होगी वह राशि ठेकेदार को देय मासिक बिल की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि में से समायोजित कर ली जावेगी।

33 सुरक्षा व्यवस्था में लगे कर्मियों की हाजरी पंजिका संस्था के मुख्य द्वार पर कार्यरत सुरक्षा कर्मी के पास रहेगी। ठेकेदार द्वारा नियुक्ति से पूर्व सुरक्षा कर्मियों के निवास/स्थायी पते का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा एवं अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र अथवा उनकी फोटो सहित उपलब्ध कराना होगा। बिना पहचान पत्र संस्था में प्रवेश नही दिया जावेगा। सुरक्षा कर्मियों को अधीक्षक द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार अपनी ड्रैस पर फर्म का नाम लिखा हुआ अप्रेन पहनना अनिवार्य होगा।

34 जामडोली में नवीन भवन का निर्माण किया जा रहा है भविष्य में संस्था के संविदा अवधि के दौरान नवीन भवन में शिफ्ट होने पर इसी दर पर फर्म को नवीन स्थान पर सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करवाने होगें। अधीक्षक के आदेश पर सुरक्षा कर्मी बदलने होगें, यदि किसी से त्रुटि होती है तो फर्म/संवेदक उसका पूर्ण जिम्मेदार होगा।

35 सुरक्षा कार्य में किसी प्रकार की चूक के लिये अथवा प्राधिकार के लियें विभाग किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा एवं इस बाबत वाद/ क्लेम विभाग के उपर दायर नही किया जायेगा फिर भी अगर कोई दायित्व आता है तो ठेकेदार के बिल से कटौती करली जायेगी। सुरक्षा कार्य अच्छा नही होता है तो अधीक्षक द्वारा गठित निरीक्षण कमेठी की रिपोर्ट पर प्रत्येक निरीक्षण में पायी गयी कमी के लिये 1000/—कम करके

बिल का भुगतान किया जायेगा। निर्धारित मात्रा में सुरक्षा कर्मी उपलब्ध नही करवाने पर देय भुगतान में नियमानुसार कटौती की जायेगी।

उपरोक्त सुरक्षा कार्य संबंधी शर्ते मैने/हमने पढ़ ली है, और यह शर्ते मुझे/हमें स्वीकार्य है।

हस्ताक्षर निविदादाता

एसआर प्ररूप–11

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/ हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन मामलों के लिये निविदा दी है उनके लिये हम श्रम विभाग में श्रमिक सप्लाई करने हेतु पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या ....दिनांक.............................. है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव ड़ाले बिना, मेरी/ हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है,रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पता